न्यायालय सं0 55

किमिनल मिस0 बेल अप्लीकेशन नं0 32987 सन 2015

मोन्टू उर्फ ऋषभ वर्सेस स्टेट आफ यू0 पी0

माननीय मोहम्मद ताहिर, न्यायमूर्ति

वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0अ0सं0 349 सन् 2015, अन्तर्गत धारा 147, 302 भा0दं0वि0, थाना रामगढ, जिला फिरोजाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिशपथपत्र दाखिल किया, इसे पत्रावली पर रखा जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक की भूमिका मृतक को पकडने की बतायी गयी है तथा मृतक को गोली मारने की भूमिका सह अभियुक्त स्वदेश यादव की बतायी गयी है तथा आवेदक के द्वारा मृतक को पकडना बताया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक को भी कोई गोली लग सकती थी, इसलिए आवेदक के द्वारा मृतक को पकडने की भूमिका संदेहास्पद हो जाती है क्योंकि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इतना बडा जोखिम नहीं उठा सकता। यह भी बहस की गयी कि आवेदक दि0 17–6–2015 से जेल में है, इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड दिया जाय।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया किन्तु यह स्वीकार किया कि आवेदक का केस उक्त सह अभियुक्त के केस के समान है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, वाद के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोडना उचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार आवेदक मोन्टू उर्फ ऋषभ का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसे उपरोक्त अपराध में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जाय।

दि0 **05–11–2016**
के0सी0सिंह